राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र संख्या :– 09/2025
(अपील संख्या :– 1959/2023)

बलवीर सिंह —**प्रार्थी/अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
3. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (अपराध शाखा) राजस्थान, जयपुर।
4. पुलिस अधीक्षक (प्रशासन एवं पीआरसी) सीआईडी (सीबी) राजस्थान, जयपुर।

—अप्रार्थीगण/प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 07.03.2025

आदेश की दिनांक : 01.09.2025

उपस्थित –

प्रार्थी/अपीलार्थी की ओर से : श्री पुष्पेन्द्र सिंह, अभिभाषक

समक्ष :– पूनम दरगन, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रार्थी/अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष पुरावलोकन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है कि पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अधिकरण द्वारा जारी आदेश दिनांक 01.07.2024 पर पुनर्विचार किया जाए और प्रार्थी/अपीलार्थी के पक्ष में उचित आदेश जारी किए जावें।

पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त में निम्न प्रकार है :–

प्रार्थी/अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि प्रार्थी/अपीलार्थी के विरूद्ध जारी दण्डादेश दिनांक 18.09.2004 एवं अपीलेट आदेश दिनांक 29.01.2004 तथा रिव्यू आदेश दिनांक 05.07.2023 के विरूद्ध प्रार्थी/अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 1959/2023 प्रस्तुत की, जिसमें प्रार्थना की कि अपील स्वीकार कर उक्त आदेश अपास्त फरमाया जावे और प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जावें कि प्रार्थी/अपीलार्थी के वेतन का निर्धारण कर अन्य दूसरे जो

दण्ड के रूप में लाभ रोके गये हैं, उनका 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ भुगतान किया जावे। उनका तर्क है कि प्रार्थी/अपीलार्थी की नियुक्ति कांस्टेबल चालक के पद पर दिनांक 01.06.1998 को हुई थी और उसे सीआईडी में स्थानांतरित कर दिया गया। उसके विरूद्ध एक एफआईआर 173/2003 दर्ज की गई। दिनांक 25.08.2003 को पुलिस द्वारा चार्जशीट संख्या 53/2003 पेश की गई, परंतु माननीय न्यायालय द्वारा उसे उक्त मामले में अपराधी ठहराया गया लेकिन अप्रार्थी/प्रत्यर्थी विभाग ने प्रार्थी/अपीलार्थी को आर्थिक दण्ड से दोषमुक्त नहीं किया गया। माननीय अधिकरण द्वारा प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को आदेश दिनांक 01.07.2024 के द्वारा सरसरी तौर पर खारिज कर दी गई और प्रार्थी/अपीलार्थी के आपराधिक मामले में दोषमुक्त होने में कोई विचार नहीं किया गया और अप्रार्थी/प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियम 16 सीसीए के अंतर्गत प्रारंभिक कार्यवाही में दण्डित करते हुये 3 वर्ष के लिये वार्षिक वेतन वृद्धि रोकी गई और इस प्रकार आलोच्य आदेश दिनांक 01.07.2024 के द्वारा रोकी गई वेतन वृद्धि नियम विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर प्रार्थी/अपीलार्थी के पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अधिकरण द्वारा जारी आदेश दिनांक 01.07.2024 पर पुनर्विचार किया जाए और प्रार्थी/अपीलार्थी के पक्ष में उचित आदेश जारी किए जावें।

हमने प्रार्थी/अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से स्पष्ट होता है कि प्रार्थी/अपीलार्थी के विरूद्ध जारी दण्डादेश दिनांक 18.09.2004 एवं अपीलेट आदेश दिनांक 29.01.2004 तथा रिव्यू आदेश दिनांक 05.07.2023 के विरूद्ध प्रार्थी/अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 1959/2023 प्रस्तुत की तथा अधिकरण के आदेश दिनांक 01.07.2024 के द्वारा उक्त अपील खारिज की गई। परंतु हम प्रार्थी/अपीलार्थी के इस तर्क से सहमत हैं कि उक्त आदेश में माननीय न्यायालय द्वारा आपराधिक मामले में प्रार्थी/अपीलार्थी को दोषमुक्त हो जाने के संबंध में विचार होने से रह गया है। इस प्रकार प्रार्थी/अपीलार्थी की पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र स्वीकार कर हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि प्रार्थी/अपीलार्थी आगामी दो माह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपने पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत

करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों को ध्यान में रखते हुये आगामी दो माह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करें और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना प्रार्थी/अपीलार्थी को दें।

अतः उक्त पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित किया जाता है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(पूनम दरगन)
सदस्य (न्यायिक)